संख्या-324/2024/611/22-2-2023-17(454)/2021

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 नवम्बर, 2024

विषय:-जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी योगेन्द्र पुत्र श्री नेत्रपाल, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक -15.11.2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी योगेन्द्र पुत्र श्री नेत्रपाल, निवासी-भांईपुर, थाना-ककोड, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 28.02.1982 को 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गोली से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-544,545/1982 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 05.05.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दंण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24.05.2019 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 30.09.2019 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.05.2022 तक अपरिहार 03 वर्ष 01 माह 08 दिन तथा सपरिहार 03 वर्ष 03 माह 26 दिन की सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर द्वारा बन्दी का अपराध 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गोली से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या जैसा जघन्य व सम्पूर्ण मानवता को शर्मशार करने वाला अपराध, समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी द्वारा दिनांक 20.05.2022 तक बन्दी की 73 वर्ष 09 माह 02 दिन की आयु, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी योगेन्द्र (बन्दी संख्या-1194/19) पुत्र श्री नेत्रपाल, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, बुलन्दशहर।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।